संख्या–2753/सैंतीस–2–2014–33(5)/84

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषयः– पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि की क्रय नीति में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–131/क0प्र0से0/क्रय नीति/ 2014 दिनांक 23.09.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के कय हेतु नीति निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या–2379/सैंतीस–2–2004–33(5)/84, दिनांक 05.08.2004 एवं समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों एवं परिवर्धनों में यह व्यवस्था दी गयी है कि औषधि का क्रय लाइसेन्सधारक निर्माता फर्मो से ही किया जायेगा। रीपैकिंग लाइसेन्सधारकों से औषधि क्रय प्रतिबन्धित होने के कारण विगत वर्षो में इस श्रेणी की औषधियों की दर निर्धारित न हो पाने के फलस्वरूप पशुचिकित्सालयों पर इनकी उपलब्धता नहीं हो सकी। इसे नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया है।

3– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसी औषधियाँ, जो पशुचिकित्सालयों की आवश्यकतानुसार छोटी मात्रा में रीपैकिंग लाइसेंसधारियों के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, की क्रय–प्रक्रिया में मूल निर्माता लाइसेंसधारक के साथ–साथ रीपैकिंग लाइसेंसधारक भी निविदा में भाग लेने के लिए अर्ह होंगे। अन्य औषधियों के मामले में रीपैकिंग लाइसेंसधारक अर्ह नहीं होंगे।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2753(1)/सैंतीस–2–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक, बी0पी0 संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4. संयुक्त निदेशक(रोग नियंत्रण) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन/प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा।
7. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग–7/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।